सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 76/11 निर्णय दिनांकः– 04–09–2019

1. जगदीशदान
2. शंकरदान पुत्र आवड़दान जाति चारण निवासी डांडूसर
3. केशुदान तहसील व जिला बीकानेर।
4. करणीदान पुत्र ईशुदान जाति चारण निवासी डांडूसर तहसील व जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बीकानेर।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 15–11–2011 जिला कलेक्टर, बीकानेर व आदेश दिनांक 01–08–2011 तहसीलदार, बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

उपस्थिति :–

1. श्री सत्यपाल सहू, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील जिला कलेक्टर, बीकानेर के आदेश दिनांक 15–11–2011 व तहसीलदार, बीकानेर के आदेश दिनांक 01–08–2011 जिसके द्वारा अपीलांट को गैरकानूनी तरीके से बेदखल करने के आदेश प्रदान किये गये है, के विरूद्व इस न्यायालय में भू–राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट के नाम से रोही मौजा डांडूसरके खसरा नम्बर 197 तादादी 6 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 198 तादादी 112 बीघा, खसरा नम्बर 199

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

तादादी 179 बीघा 07 बिस्वा कुल तादादी 297 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है। अपीलांट की सींव के चिपते ही खसरा नम्बर 288 तादादी 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है। अपीलांट द्वारा कभी भी सींव को तोड़कर खसरा नम्बर 288 में नाजायज काश्त नहीं की गई है। पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार के समक्ष गलत रिपोर्ट पेश की गई है। उक्त रिपोर्ट में खसरा नम्बर 288 में नाजायज काश्त बताई गई है। जोकि स्पष्ट रूप से गलत रिपोर्ट है। तहसीलदार व पटवारी अपीलांट की खातेदारी भूमि पर खड़ी फसल को बर्बाद करने पर उतारू है। प्रकरण में तहसीलदार, बीकानेर के आदेश की पालना में पटवारी हल्का एवं गिरदावर की उपस्थिति में मौका जांच के दौरान भी यह तथ्य साबित थे कि वादग्रस्त भूमि का सही तरीके से सीमाज्ञान नहीं किया गया है। फिर भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपीलांट को साक्ष्य व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना अपीलांट की खातेदारी भूमि पर स्थित रिहायशी मकान तथा बाड़ा आदि को अतिक्रमण मानकर बेदखली के आदेश प्रदान करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश पूर्णतया विधि विरूद्व तथा मौके की स्थिति के विपरीत जाकर पारित किये गये आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

उन्होंने मियांद के संबंध में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट को आवंटित भूमि पर अपीलांट का कब्ज काश्त नहीं है। अपीलांट द्वारा अपने खसरे के अतिरिक्त अन्य खसरों में नाजायज काश्त की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को उक्त भूमि पर अतिक्रमण मानते हुए बेदखली के आदेश प्रसारित किये गये हैं अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गइ है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

6. प्रस्तुत मामलें में तहसीलदार के निर्णय में पटवारी की रिपोर्ट तथा अपीलांट द्वारा सबूत पेश नहीं करने के आधार पर अपीलांट को अतिक्रमी माना गया है। प्रथम अपील में अपीलांट का तर्क था कि सरकारी रकबे से सटकर उसकी खातेदारी भूमि होने के कारण राजस्व कर्मियों द्वारा सीमाज्ञान करवाने के उपरान्त अतिक्रमण को साबित करना था, परन्तु पटवारी की सरसरी रिपोर्ट के आधार पर ही अतिक्रमी मान लिया गया। अपीलांट्स का कथन है कि उन्होनें अपनी खातेदारी भूमि मानकर जहॉ 20 वर्षो पूर्व अपना रिहायशी मकान तथा बाड़ा बनाया था, उसे अचानक अतिक्रमण मानकर बेदखली का आदेा पारित कर दिया गया जो मनमाना है। तहसीलदार के निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट्स को केवल पटवारी की सरसरी रिपोर्ट के आधार पर ही अतिक्रमी माना गया है तथा प्रथम अपील अधिकारी जिला कलेक्टर ने भी अपीलांट्स द्वारा कब्जाशुदा भूमि पर मालिकाना हकों के सबूत पेश नहीं करने के आधार पर ही तहसीलदार के निर्णय की ताईद कर दी। सरकारी पक्ष को आरोप साबित करने के लिये साक्ष्य लेने थे, परन्तु साक्ष्य का भार केवल बचाव पक्ष पर डाल दिया गया। जो किसी भी स्थिति में युक्तियुक्त व न्यायसंगत नहीं माना जा सकता।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलाधीन दोनों आदेश विधिक प्रक्रिया को नजरअंदाज करते हुए जारी होने के कारण अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के अपीलाधीन आदेश दिनांक 15–11–2011 तथा 01–08–2011 अपास्त किये जाते है। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार, बीकानेर को रिमाण्ड किया जाता है कि खसरा नम्बर 288 की सरकारी भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाकर तथा अपीलांट्स का अतिक्रमण पाये जाने पर साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका देकर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय आज दिनांक 04–09–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर
(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर